अशोक कांत शरण
ASHOK KANT SHARAN
IPS

उत्तरांचल शासन

पुलिस महानिदेशक
उत्तरांचल
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
Uttaranchal
12, Subhash Marg
Dehradun-248001

परिपत्र संख्या– 18 / 2001
दिनांकः देहरादूनः 12 अक्टूबर, 2001

प्रिय महोदय,

कृपया दिनांक 10.10.2001 को इस मुख्यालय पर आयोजित प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गोष्ठी का सन्दर्भ लें, जिसमें दिनांक 15.10.2001 से दिनांक 30.111.2001 तक अपराधों के विरूद्ध एक सघन अभियान चलाये जाने के बारे में निर्णय लिया गया था।

2. उपरोक्त के क्रम में सभी जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों से विशेष तौर से जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा जनपद नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही अपेक्षित है:–

(1) विभिन्न प्रकार के गैंगो के विरूद्ध कार्यवाही
 (क) वाहन चोरों के गैंगों के विरूद्ध कार्यवाही।
 (ख) नकबजनी के गैंगो के विरूद्ध कार्यवाही।
 (ग) चेन स्नेचर्स के गैंगों के विरूद्ध कार्यवाही।
 (घ) अपराध में लिप्त अन्य गैंगों का चिन्हीकरण एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही।
 (च) मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही।
 (छ) विलुप्त पाकिस्तानियों की खोज एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही।

(2) संगीन अपराधों के लम्बित अभियोगों को वर्कआउट करना।
हत्या, डकैती, लूट व रोड होल्डअप के अभियोग, जो अभी तक वर्कआउट न हुए हों उन्हें वर्क आउट करना।

(3) वांछित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही।
वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, कुर्की या उनको न्यायालय से भगोड़ा घोषित किया जाना।

(4) दो माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण।
(5) लम्बित जॉचों/प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण।
(6) लम्बित शस्त्र एवं लाइसेंसों से सम्बन्धित प्रार्थना –पत्रों का निस्तारण।
(7) लम्बित पी.वी.आर., एम.बी.आर. एवं सी.वी.आर. का निस्तारण।
(8) लम्बित प्रारम्भिक जॉचों का निस्तारण।
(9) लम्बित विभागीय कार्यवाहियों का निस्तारण।

3. उपरोक्त बिन्दुओं पर समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक अपने निकट पर्यवेक्षण में कार्यवाही करायेंगे तथा सभी बिन्दुओं पर की गयी कृत कार्यवही को

☎ 0135-712082 (कार्यालय) 712650 (निवास) फैक्स : 712080

संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार अपने जनपद से सम्बन्धित पाक्षिक आख्या अपने–अपने परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों को भेजेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि इस मुख्यालय पर पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था को भी भेजेंगे। परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक अपने–अपने परिक्षेत्र के सम्बन्ध में प्रत्येक पक्ष में अभियान का रिव्यू करेंगे तथा अपनी टिप्पणी पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं मुझे भेजेंगे।

4. मुझे विश्वास है कि सभी जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक उपरोक्त अभियान में स्वयं रूचि लेकर इस अभियान को सफल बनायेंगे, ताकि उत्तरांचल पुलिस की छवि बेहतर हो।

भवदीय,

(अशोक कान्त शरण)
12/07/07

1. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / (नाम से)
   प्रभारी पुलिस अधीक्षक,
   उत्तरांचल।
2. समस्त सेनानायक, (नाम से)
   पीएसी वाहिनी,
   उत्तरांचल।

संलग्नक: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तरांचल, देहरादून को इस आशय से कि वह पाक्षिक रिव्यू कर अपनी टिप्पणी सहित प्रत्येक पक्ष में प्रस्तुत करें तथा अभियान के अन्त में अपनी आंकलन टिप्पणी प्रस्तुत करें।
(2) पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल/कुमायूँ परिक्षेत्र, उत्तरांचल।
(3) अपर पुलिस महानिदेशक(कार्मिक), उत्तरांचल, देहरादून।
(4) पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना/सीआईडी, उत्तरांचल, देहरादून।
(5) पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तरांचल, देहरादून।
(6) पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध, उत्तरांचल, देहरादून।

.....